सूचना प्राप्ति के लिए निर्धारित शुल्क

सूचना, निर्धारित शुल्क के भुगतान पर ही उपलब्ध कराई जायेगी। तथापि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवेदक को कोई शुल्क नहीं देना होगा। {धारा 7 (5)}

आवेदन शुल्क : {धारा 6 (1)}

- सूचना के लिए अनुरोध करते समय आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क 10 रुपये देय होगा। आवेदन शुल्क दिये बगैर सूचना का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा।

आवेदन शुल्क 10 रुपये प्रति आवेदन पत्र के अतिरिक्त सूचना प्राप्ति के लिए निर्धारित शुल्क निम्न प्रकार हैं :–

1. सूचना की :–
   (i) तैयार की गयी सामग्री अथवा,
   (ii) अभिलेख की छाया प्रति
   दिये जाने पर **A4** या **A3** साईज के एक पृष्ठ का 2 रुपये प्रति पेज।
2. बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि दिये जाने पर उसकी वास्तविक लागत।
3. अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये प्रथम घँटा हेतु कोई शुल्क नहीं एवं उसके पश्चात प्रत्येक 15 मिनट अथवा उसके भाग हेतु शुल्क 5 रुपये।
4. डिस्केट/फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिये 50 रुपये प्रति फ्लॉपी/डिस्केट।
5. मुद्रित प्रारूप में दी गयी सूचना के लिए, ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति के लिए प्रति पृष्ठ 2 रुपये।
6. सैम्पल/मॉडल की दशा में उसकी वास्तविक लागत।

उत्तरांचल शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या-165/ग्य/XXXI (13)G – 2(2)/2006
देहरादून : दिनांक :31 मार्च, 2006

उ० प्र० ...
र० सं० 53
दि० 12/4/06

अधिसूचना

राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) तथा (ग) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके शासन की अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2005 को निम्नवत् संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात :–

विद्यमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
प्रस्तर–3. अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखा अधिकारी के नाम देय रू0 10.00 की फीस, उचित रसीद के प्रति नगद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।	प्रस्तर–3. अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना माँगे जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के अधीन चिन्हित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी या लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखा अधिकारी के नाम देय रू0 10.00 (रू0 दस मात्र) की फीस उचित रसीद के प्रति नगद, डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकनसंख्या-165(1)/ग्य/XXXI (13)G – 2(2)/2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. सचिव, विधानसभा, विधान भवन, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, तरांचल शासन।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, हारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तरांचल।
5. [illegible]